13/2/23 वादी अधिवक्ता उपस्थित। TDR KDR का ... से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जो सुलेन्द्र सिंह ... स्पष्ट नहीं है। पुनः रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 27/02/23 को पेश हो

27/02/23 बार संघ का कार्य स्थागित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20/3/23 को पेश हो Kamal

20/03/23 बार संघ का कार्य स्थागित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19/04/23 को पेश हो

19/4/23 वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KDR प्राप्त हुई शामिल मिसल की गई। रिपोर्ट TDR KDR के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/05/2023 को पेश हो।

20/5/23 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 ग्रा. प. 2 FC मुकाम मे पेश हुई। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र शपथ पत्र व रिपोर्ट TDR KDR के आधार पर स्वीकार किया जाता है। ... पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो ... पत्रावली निर्णित होकर ... दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:5
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी

श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 83/2022

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजूः- 29.11.2022

उपस्थितः 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक :

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 6 वीं की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 72/73 में क्रमांक संख्या 9 पर वादी का नाम सतविन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान व क्रमांक संख्या 10 पर सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 55/57 में क्रमांक संख्या 23 पर वादी का नाम सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख व क्रमांक संख्या 21 पर वादी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख दर्ज है। वादी के समस्त पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में नाम सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह अंकित है। राजस्व अभिलेख में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने नाम सतविन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान व सुरेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख को संशोधित करवाकर सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख की घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। उक्त संशोधन के लिए वादी ने तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर व अन्य राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो के समक्ष निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवाने हेतु हिदायत दी। इस कारण वाद-हेतुक की उत्पति से वाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त खातों में वादी का नाम सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वीं धनूर किए जाने के आदेश फरमावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 395 दिनांक 08.02.2023 व पंत्राक 870 दिनांक 21.03.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर पटवारी हलका द्वारा पूछताछ की गई जिसमें उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि सतविन्द्र सिंह, [illegible] सिंह, सुलेन्द्र सिंह तीनों [illegible] व्यक्ति है। सुलेन्द्र सिंह को ही तीनों नामों से जाना जाता है। जमाबन्दी सम्वत [illegible] के खाता संख्या 57/61 के अनुसार प्रार्थी की जाति जटसिख अंकित है। जबकि खाता संख्या 73/81 के [illegible] प्रार्थी की जाति तरखान है। जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति जटसिख है। अतः जाति में शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र [illegible], शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 6 वीं, पटवार हलका धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested

72/73 की प्रति, चक 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 55/57 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 6 वीं की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 72/73 में क्रमांक संख्या 9 पर दर्ज नाम सतविन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान, क्रमांक संख्या 10 पर सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान व खाता संख्या 55/57 में क्रमांक संख्या 23 पर दर्ज नाम सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख व क्रमांक संख्या 21 पर दर्ज नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख के स्थान पर सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वीं धनूर करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में नाम सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार मौके पर पटवारी हलका द्वारा पूछताछ की गई जिसमें उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि सतविन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सुलेन्द्र सिंह तीनों एक की व्यक्ति है। सुलेन्द्र सिंह को ही तीनों नामों से जाना जाता है। जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 57/61 के अनुसार प्रार्थी की जाति जटसिख अंकित है। जबकि खाता संख्या 73/81 के अनुसार प्रार्थी की जाति तरखान है। जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति जटसिख है। अतः जाति में शुद्धि किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 6 वीं की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 72/73 में क्रमांक संख्या 9 पर दर्ज नाम सतविन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान, क्रमांक संख्या 10 पर सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान व खाता संख्या 55/57 में क्रमांक संख्या 23 पर दर्ज नाम सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख व क्रमांक संख्या 21 पर दर्ज नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख के स्थान पर सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वीं धनूर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक [illegible] पदेन उपखण्ड अधिकारी
कर[illegible] जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक
अभियान-2023 में सुनाया गया।

को [illegible] के संग

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुलेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर **83/2022**

निर्णय दिनांक :- 20.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता सतीश कुमार अरोडा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 6 वीं की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 72/73 में क्रमांक संख्या 9 पर दर्ज नाम सतविन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान, क्रमांक संख्या 10 पर सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान व खाता संख्या 55/57 में क्रमांक संख्या 23 पर दर्ज नाम सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख व क्रमांक संख्या 21 पर दर्ज नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख के स्थान पर सुलेन्द्र सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वीं धनूर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.05.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

दिनांकः 20.05.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/216

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर